बिरदीचन्द बनाम राज0 सरकार
प्रा0पत्र सं0 146/15

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजकुमार कस्वा R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 146/2015 दायर तारीख :– 26.06.2015

1. बिरदीचन्द पुत्र ईसरा
2. श्रीराम पुत्र ईसरा

समस्त जाति कुम्हार नि0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
2. अमरचन्द पुत्र छीतर
3. रामेश्वर पुत्र रामदेव

समस्त जाति कुम्हार नि0 हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0,

4. पंजाब नेशनल बैंक शाखा हिरनोदा जरिये शाखा प्रबन्धक

— अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री लोकेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
राज पेरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यू ऐक्ट

निर्णय

निर्णय दिनांक : 8-11-19

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी खं0नं0 215/1 रकबा 1 बीघा 7 विस्वा, खं0नं0 227 रकबा 13 विस्वा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा वाकै ग्राम हिरनोदा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है व उपरोक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। विवादग्रस्त आराजी का पर्चा सेटलमेन्ट जारी हुआ तो सैटलमेन्ट जमाबन्दी संवत् 2011 से 2029 में खातेदारी रामदेव पुत्र जैता हि0 1/3 नाथू, ईसर पुत्र पूरा हि0 2/3 जाति कुम्हार के नाम से जारी किया गया तथा पक्षकारान उपरोक्त हिस्सेनुसार ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा राजस्व रिकोर्ड में खातेदारी इन्द्राज भी संवत् 2026–29 तक इसी अनुसार दर्ज रहते आ रहे है परन्तु जब रामदेवा पुत्र जैता की मृत्यु हुई तो जब रामदेवा पुत्र जैता का विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया गया से सम्पूर्ण आराजी रामदेवा पुत्र जैता के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई जबकि विवादित आराजी में रामदेवा पुत्र जैता का 1/3 हिस्सा ही था ओर इसी अनुसार उक्त हिस्सा उसके वारिसान के नाम दर्ज होना था तथा शेष 2/3 हिस्सा नाथू, ईसरा पुत्र पूरा के नाम बदस्तूर कायम रहना चाहिए था। जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 विवादग्रस्त आराजी की तैयार की गई उसमें रामदेवा पुत्र जैता 1/3 हिस्सा, नाथू, ईसरा पि0 पूरा 2/3 हिस्सा सही रूप से दर्ज था परन्तु जमाबन्दी संवत् 2030 से 2035 की जब तैयार की गई उसमें बिना किसी आदेश प्रार्थीगण के पिता ईसर व नाथू का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी रामदेवा के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई जो कि एक मानवीय व लिपिकीय भूल है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। आराजी खं0नं0 215/1, 227 वाकै ग्राम हिरन[illegible] ईसरा के वारिसान प्रार्थीगण ही काबिज काश्त चले आ रहे है तथा [illegible] पर रामदेवा के वारिसान [illegible] है। तथा 1/3 हिस्सें पर नाथू [illegible] की जमाबन्दी राजस्व रिकोर्ड में त्रुटिवंश ईसरा व नाथू का नाम [illegible] विपरित प्रभाव पड़ता है जिस विलोपित हो गया उससे प्रार्थीगण के अधिकारों [illegible] बावत् कई बार दुरूस्ती हुई पटवार हल्का तहसीलदार महोदय से निवेदन किया तथा तत्पश्चात् दिनांक 15.06.15 को पटवार हल्का व तहसीलदार महोदय बावत् सक्षम न्यायालय में चाराजोरी करने हेतु कहने पर यह प्रा0पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:23:05 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
लेक

Scanned by CamScanner

विरदीचन्द्र बनाम
प्रार्थना

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रार्थीगण ने एक प्रा0
रूल्स 10 जा0दी0 का पेश किया। उक्त प्रा0पत्र स्वीकार होने पर संशो
शीर्षक पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने
पेश किया जिसमें अंकित किया कि ग्राम हिरनोदा की जमाबन्दी संवत् 2
के खाता सं0 232 पर ख0नं0 215/1, 227 किता 2 कुल रकबा
खातेदारी रामदेवा पुत्र जैता हि0 1/3 नाथू ईसरा पुत्र पूरा हि0
सा0देह0 के नाम दर्ज था। नामान्तकरण सं0 123 दिनांक 25.05.71
जैता की फौती पर छीतर रामेश्वर पि0 रामदेव के नाम हि0 1/3
जमाबन्दी संवत् 2030–2033 में नामान्तकरण सं0 123 का उक्त खाते मे
समय सम्पूर्ण खाते में छीतर रामेश्वर पि0 रामदेवा को कुम्हार के नाम
कर दिया। जमाबन्दी संवत् 2030 से 2033 में सहवन से नामान्तकरण
अमल करते समय नाथू ईसरा पि0 पूरा हि0 2/3 दर्ज करने से रह गय
जमाबन्दी में उक्त ख0नं0 अमरचन्द पुत्र छीतरमल हि0 1/2 साकिन
शाखा हिरनोदा मुर्तहीन रामेश्वर पुत्र रामदेव हि0 1/2 कौम कुम्हार सा0
दर्ज है। अप्रार्थी सं0 2 लगा0 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के
विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2011 से
नामान्तकरण सं0 123 पेश किये।

4. बहस वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बह
किया कि विवादग्रस्त आराजी का पर्चा सेटलमेन्ट जारी हुआ तो सैटलमे
संवत् 2011 से 2029 में खातेदारी रामदेव पुत्र जैता हि0 1/3 नाथू, ई
हि0 2/3 जाति कुम्हार के नाम से जारी किया गया तथा पक्षकार
हिस्सेनुसार ही काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है तथा राजस्व
खातेदारी इन्द्राज भी संवत् 2026–29 तक इसी अनुसार दर्ज रहते आ
जब रामदेवा पुत्र जैता की मृत्यु हुई तो जब रामदेवा पुत्र जैता का
नामान्तकरण तस्दीक किया गया से सम्पूर्ण आराजी रामदेवा पुत्र जैता के
नाम दर्ज कर दी गई जबकि विवादित आराजी में रामदेवा पुत्र जैता का
ही था ओर इसी अनुसार उक्त हिस्सा उसके वारिसान के नाम दर्ज ह
शेष 2/3 हिस्सा नाथू, ईसरा पुत्र पूरा के नाम बदस्तूर कायम रहना
जमाबन्दी संवत 2026 से 2029 विवादग्रस्त आराजी की तैयार की गई
पुत्र जैता 1/3 हिस्सा, नाथू, ईसरा पि0 पूरा 2/3 हिस्सा सही रूप
परन्तु जमाबन्दी संवत् 2030 से 2035 की जब तैयार की गई उसमें
आदेश प्रार्थीगण के पिता ईसर व नाथू का नाम हटाकर सम्पूर्ण आराजी
वारिसान के नाम दर्ज कर दी गई जो कि एक मानवीय व लिपि
जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

5. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस
अवलोकन/मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रा0पत्र के
तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किये है ओर न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश कि
का सुस्थापित सिद्वांत है कि पक्षकार को अपना वाद/प्रार्थना पत्र स्वंय
होता है। प्रार्थी ने प्रा0पत्र के साथ दस्तावेज की छाया प्रतिया पेश की
साक्ष्य में ग्राहय नहीं है प्रार्थी ने दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिया प्रस्तु
प्रार्थीगण यह साबित करने में असफल रहा है कि उक्त त्रुटि किस दस्त
प्रविष्टि के [illegible] हुई है तथा [illegible] फुलेरा के जवाब का अवलो
भी कहीं भी यह सिद्ध नहीं ह[illegible] है कि [illegible]र्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार कि
है इसलिए [illegible] का प्रार्थना [illegible] खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkumar Kaswa
Date: 2021.07.28 14:23:05 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]त्मक आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्था
अधिनियम का खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8-11-19 को खुले न्यायालय मे सुनाया

उपख

Scanned by CamScanner